न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

दायर तारीख 11.04.2019

प्रार्थनापत्र संख्या :– 65/2019

अनवान

01 भैरुलाल पिता नन्दा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तह0 तालेड़ा जिला बून्दी ....प्रार्थी

बनाम

01 भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

उपस्थित :–

श्री मुकेश कुमार धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 02.05.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम काछीपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा में आराजी, खसरा संख्या 10 रकबा 3–17 बीघा, खसरा संख्या 11 रकबा 4–10 बीघा कुल किता 2 रकबा 8–07 बीघा भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 12 फीट चौड़ा रास्ता जो कि बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी संख्या 8 रकबा 7–06 बीघा के उत्तरी पश्चिमी सिरे से होता हुआ पश्चिमी दिशा के सहारे दक्षिण दिशा की तरफ आकर खसरा संख्या 8 के अंतिम छोर से पुर्व की तरफ आकर प्रार्थी की आराजी संख्या 10 मे प्रवेश करता है। है। प्रार्थी एंव उससे पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी पर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी मे जाने आने का अन्य कोई वैकल्पिक एंव सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ते को प्रार्थी राजस्व रेकार्ड मे कायम दर्ज करवा दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी विपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलवी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2019/613 दिनांक 26.04.2019 में अंकित किया कि ग्राम काछीपुरा की आराजी संख्या 10 रकबा 3–17 बीघा, आराजी नम्बर 11 रकबा 4–10 बीघा कुल किता 2 रकबा 8–07 बीघा भूमि मे आने जाने का प्रार्थी द्वारा चाहा गया 12 फीट चौड़ा रास्ता विपक्षी की बिलानाम आराजी संख्या 8 रकबा 7–06 बीघा में से होकर प्रार्थी की आराजी मे पहूंचता है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

प्रस्तावित रास्ता वर्तमान मे मौके पर 12 फिट चौड़ा एंव 300 फीट लम्बा जिसका कुल रकवा 0–04 बीघा बनता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की भूमि की डी.एल.सी. 60500/– प्रति बीघा से भूमि की मालियत 1200/–रूपये का दुगुना से 24200/– राशि बनती हैं।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी तहसीलदार की सुनी गयी।

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित रास्ता बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने में भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम काछीपुरा में स्थित आराजी नम्बर 10 रकबा 3–17 बीघा, आराजी नम्बर 11 रकबा 4–10 बीघा कुल किता 2 रकबा 8–07 बीघा भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 8 रकबा 7–06 बीघा मे से प्रस्तावित रास्ते 12 फीट चौड़ाई एंव 300 फीट लम्बाई मे जिसके बनने वाले रकबे की भूमि रकबा 0–04 बीघा भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. 60500/– प्रति बीघा से प्रस्तावित भूमि रकबा 0–04 बीघा की मालियत 12100/–रूपये बनती हैं जिसका दुगुना से 24200/– अक्षरे चौबीस हजार दौ सो रुपये बनती हैं। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 02.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner